# संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र.

विजयाराजे वात्सल्य भवन प्लाट नम्बर 28,जेल रोड अरेरा हिल्स,भोपाल

क्रमांक/पोआ/11/295 भोपाल,दिनांक 14 .2.11

प्रति,

1. जिला कार्यक्रम अधिकारी/
   जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
   जिला–समस्त (म.प्र.)
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी,
   एकीकृत बाल विकास परियोजना (ग्रामीण/आदिवासी)
   जिला– समस्त (म.प्र.)

विषय –ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र की समेकित बाल विकास परियोजनाओ मे सांझा चूल्हा व्यवस्था के अंतर्गत स्व सहायता समूहों द्वारा पोषण आहार प्रदाय के देयकों के भुगतान के संबंध मे ।

संदर्भ–1.मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश क्र./एफ–3–2/09/50–2,दि.1.10.09 ।
2.संचालनालय महिला एवं बाल विकास का पत्र क्र./पोआ/10/122,दि.5.1.10,पत्र क्र./2865, दिनांक 7.4.10 एवं पत्र क्र.1102,दिनांक 20.1.11 ।

---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन कीजिए । सांझा चूल्हा व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण / आदिवासी क्षेत्र की समेकित बाल विकास परियोजनाओं में स्व सहायता समूहों द्वारा पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जाता हैं । विभिन्न जिलों की कई परियोजनाओं में स्व सहायता समूहों के देयकों का भुगतान काफी समय तक लंबित रहता हैं । इस संबंध में स्व सहायता समूहों द्वारा भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

सांझा चूल्हा अंतर्गत स्व सहायता समूहों के देयकों के भुगतान मे आ रही विभिन्न कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 7.1.11 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई विभागीय समीक्षा बैठक मे स्व सहायता समूहों को भुगतान की जाने वाली राशि की प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए निर्णय लिया गया है कि स्व सहायता समूहों को भुगतान की जाने वाली राशि मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रेषित करने के स्थान पर अब जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला बाल विकास अधिकारी कलेक्टर से सक्षम स्वीकृति उपरान्त सीधे कोषालय से राशि आहरित कर स्व सहायता समूहों के बैंक खातो में जमा कराएंगे ।

परियोजना अधिकारी संबंधित समूहो को राशि उपलब्ध कराने हेतु समस्त परियोजना का एकजाई पत्रक जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराएगा । जिला कार्यक्रम अधिकारी उस एकजाई पत्रक के आधार पर कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर देयक, मय समूहों के बैंक खाते क्र. एवं राशि के विवरण सहित कोषालय में प्रस्तुत करेगें । कोषालय से राशि सीधे समूहों के खातो मे हस्तांतरित की जावेगी ।

जिला अधिकारी उपरोक्तानुसार राशि आहरित कर सीधे स्व सहायता समूहो के बैंक खातो में राशि जमा करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें । समूहो को देय राशि उन्हें समय से प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करना जिला कार्यक्रम अधिकारी का दायित्व होगा ।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

14/2/11

(अक्षय [illegible])
संयुक्त संचालक,
महिला एवं बाल विकास म.प्र.
भोपाल,दिनांक 14 .2.11

पृष्ठां.क्रमांक/पो.आ./11/296

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर सूचनार्थ ।
3. कलेक्टर,जिला–समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला–समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. संभागीय संयुक्त संचालक समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास,म.प्र.

Jen-Leter-11